**रजिस्टर्ड/सील्ड**

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-397/2024/1891/22-2-2023-17(768)/2023

लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अबू सहम (बन्दी सं0-87/2022) पुत्र मो0 इसहाक, निवासी कुशफरा, थाना-मान्धाता, जनपद-प्रतापगढ़, जिन्हें बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-18/1970 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 324/149, 325/149, 147, 148, 326/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 29.09.1970 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.09.1974 द्वारा सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 25.11.2022 तक 09 वर्ष 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष 05 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण, बंदी की 90 वर्ष से अधिक आयु, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-397/2024/2558(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।

3- पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in